

AGRA JAL KAL TARRIFS

वाटर टैक्स वार्षिक मूल्यांकन का 12.5% (गजट नोटिफिकेशन सं० 972/9-2-2003/57(5)/2000 दि० 09-04-2003)

सीवर टैक्स वार्षिक मूल्यांकन का 4% (गजट नोटिफिकेशन सं० 1533/9-2-87/57(28)/1985 दि० 17-10-1987)

सीवर प्रभार : जलमूल्य का 25 : अथवा जल संयोजन न होने की दशा में प्रतिसीट प्रतिमाह रू० 15

नई दरें प्रति किलोलीटर(रू० में)

(प्रभावी दिनांक 1-10-1994)

क्र	श्रेणी	उपभोक्ता श्रेणी	1.10.94 से 31.3.96 तक	96-97	97-98	98-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	विशेष श्रेणी एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान	पंचतारा होटल, तीनतारा होटल, लॉज, कोल्ड स्टोर, आइस फैक्टरी, वॉटलिंग प्लाट, नर्सिंग होम, पेठा प्रतिष्ठान आदि (मीटरयुक्त)	15.00	17.25	19.80	22.80	24.50	26.30	28.28	30.40	32.70	35.15
2	अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान	सिनेमा रेस्टोरेंट आदि (मीटर युक्त)	7.50	8.60	9.90	11.40	12.20	13.00	13.94	15.00	16.10	17.30
3	सरकारी, अर्द्धसरकारी संस्थागत प्रतिष्ठान	एम०इ०एस०, ए०डी०आर०डी०, एयर फोर्स, दूरसंचार, पुलिस विभाग, पी०ए०सी०, बैंक कार्यालय, रेलवे, विद्युत विभाग, स्कूल प्रशिक्षण सस्थान आदि (मीटर युक्त)	6.00	6.90	7.90	9.10	9.80	10.50	11.29	12.15	13.00	14.00
4	छावनी परिषद	छावनी परिषद (मीटर युक्त)	4.50	5.10	6.00	6.90	7.40	8.00	8.60	9.25	10.00	10.75
5	घरेलू	सामान्य	3.00	3.45	3.90	4.55	4.90	5.30	5.65	6.10	6.55	7.40

नोट:-निर्धारित अवधि के अन्दर भुगतान करने पर चालू माँग पर 10 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी ।

1 निर्धारित अवधि के बाद भुगतान करने पर समयावधि छूट स्वमेय निरस्त मानी जायेगी ।

2 बिल निर्गमन के 60 दिन के उपरांत परन्तु वित्तीय वर्ष के अन्दर भुगतान करने पर बिल की राशि पर 10 प्रतिशत की दर से सरचार्ज देय होगा ।

3 वित्तीय वर्ष के उपरांत जलमूल्य तथा सरचार्ज की राशि बकाया डिमाण्ड मानी जायेगी ।

4 बकाया धनराशि पर किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है ।

आगरा जल संस्थान

न्यूनतम जलमूल्य की दरें

(पाइप साइज 15 एम0एम0 के जल संयोजनों हेतु)

क्र0	वार्षिक किराया मूल्यांकन (रु0 में)			न्यूनतम जल मूल्य	वर्ष 2003—2004	वर्ष 2004—2005	वर्ष 2005—2006
1	360	तक		360.00	561.00	603.00	648.00
2	361	से	2000	720.00	1122.00	1206.00	1296.00
3	2001	से	3500	1080.00	1684.00	1810.00	1946.00
4	3501	से	5000	1380.00	2164.00	2326.00	2500.00
5	5000	से	अधिक	1800.00	2805.00	3015.00	3241.00

(पाइप साइज 20 एम0एम0 के जल संयोजनों हेतु)

क्र0	वार्षिक किराया मूल्यांकन (रु0 में)			न्यूनतम जल मूल्य	वर्ष 2003—2004	वर्ष 2004—2005	वर्ष 2005—2006
1	360	तक		540.00	842.00	905.00	961.00
2	361	से	2000	1080.00	1683.00	1809.00	1946.00
3	2001	से	3500	1620.00	2525.00	2714.00	3074.00
4	3501	से	5000	2040.00	3180.00	3419.00	3620.00
5	5000	से	अधिक	2700.00	4209.00	4525.00	4791.00

(पाइप साइज 25 एम0एम0 के जल संयोजनों हेतु)

क्र0	वार्षिक किराया	न्यूनतम	वर्ष	वर्ष	वर्ष
------	----------------	---------	------	------	------

	मूल्योँकन (रु0 में)			जल मूल्य	2003—2004	2004—2005	2005—2006
1	360	तक		840.00	1309.00	1407.00	1489.00
2	361	से	2000	1620.00	2525.00	2714.00	3074.00
3	2001	से	3500	2400.00	2580.00	4022.00	4258.00
4	3501	से	5000	3060.00	4770.00	5128.00	5430.00
5	5000	से	अधिक	3600.00	5612.00	6033.00	6787.00

नोट:—

- 1 निर्धारित अवधि के अन्दर भुगतान करने पर चालू माँग पर 10 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी ।
- 2 निर्धारित अवधि के बाद भुगतान करने पर समयावधि छूट स्वमेय निरस्त मानी जायेगी ।
- 3 बिल निर्गमन के 60 दिन के उपरांत परन्तु वित्तीय वर्ष के अन्दर भुगतान करने पर बिल की राशि पर 10 प्रतिशत की दर से सरचार्ज देय होगा ।
- 4 वित्तीय वर्ष के उपरांत जलमूल्य तथा सरचार्ज की राशि बकाया डिमाण्ड मानी जायेगी ।
- 5 बकाया धनराशि पर किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है ।

रजिस्टर्ड नं० १० डी
लाइसेन्स सं० डब्लू० पी०-४
(लाइसेंस टू पोस्ट विदाउट प्री पेमेन्ट)

उत्तर प्रदेश सरकार की सील
सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित
इलाहाबाद, शनिवार, ३ दिसम्बर, १९९४ ई० (अग्रहायण १२, १९१६ शक संवत्)
भाग-८

जल संस्थान आगरा
सूचना

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, १९७५ (उत्तर प्रदेश एक्ट संख्या ४३, १९७५) की धारा २५ की उपधारा २(६) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उत्तर प्रदेश जल निगम से उक्त अधिनियम की धारा १५ की उपधारा २(८) के अन्तर्गत जल परिव्यय की दरें अनुमोदन के उपरान्त, आगरा जल संस्थान, आगरा द्वारा निम्नलिखित रूप से निर्धारित की जाती है।

उपर्युक्त अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा ५९ की उपधारा (१) व (२) के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। प्रस्तुत दरें दिनांक १ अक्टूबर, १९९४ से प्रभावी होंगी:

क:- घरेलू प्रयोजनार्थ: दर रु० ३ प्रति किलोलीटर

न्यूनतम प्रभार की दरें (रूपये प्रतिवर्ष)

भवन/भूमि का वार्षिक मूल्यांकन	पाइप साइज १५ एम०एम० रु०	पाइप साइज २० एम०एम० रु०	पाइप साइज २५ एम०एम० रु०
रु० ३६० तक	३६०	५४०	८४०
रु० ३६१ से २००० तक	७२०	१०८०	१६२०
रु० २००१ से ३५०० तक	१०८०	१६२०	२४००
रु० ३५०१ से ५००० तक	१३८०	२०४०	३०६०
रु० ५००० से अधिक	१८००	२७००	३६००

टिप्पणी:-

- मीटरयुक्त संयोजनों के लिये न्यूनतम जलमूल्य 25 प्रतिशत कम करके लिया जायेगा ।
- घरेलू उपयोग के लिये 25 एम0एम0 पाइप साइज के ऊपर के संयोजन आवास विकास परिषद्, सरकार/अर्द्ध सरकारी कॉलोनी एवं सहकारी आवासीय समितियों को छोड़कर अन्य किसी को नहीं दिये जायेंगे । उपरोक्त श्रेणी के अतिरिक्त 25 एम0एम0 से अधिक के वर्तमान संयोजनों के लिये दर अनुबन्ध के आधार पर होगी, जो अघरेलू की अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिये निर्धारित दर से कम नहीं होगी ।
- किरायेदारी के लिये दूसरे एवं बाद के घरेलू संयोजन 15 एम0एम0 के ही दिये जायेंगे, जिन पर 480 रु0 प्रतिवर्ष न्यूनतम प्रभार लिया जायेगा ।
- यदि किसी संयोजन के जल का उपयोग घरेलू एवं अघरेलू दोनों के लिये ही हो रहा है तो उस पर सम्बन्धित अघरेलू उपयोग की दर से ही चार्ज किया जायेगा ।
- मोटर खराब होने की दशा में बिना मीटर संयोजन का न्यूनतम प्रभार या पूर्व औसत, जो अधिक हो, चार्ज किया जायेगा ।

घरेलू प्रयोजनार्थ

क्रमांक	जल संयोजन के पाइप का आकार	न्यूनतम जल मूल्य प्रभार (रूपये प्रति वर्ष)
अ	15 एम0एम0 तथा 13 वर्ग मीटर भूखण्ड क्षेत्रफल तक की सम्पत्तियों पर	720
ब	15 एम0एम0 एवं उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सम्पत्तियों पर	900
स	20 एम0एम0	2700
द	25 एम0एम0	3600

अघरेलू संयोजन

क्रमांक	उपभोक्ता श्रेणी	दर रूपये प्रति किलोलीटर रु0	न्यूनतम प्रभार प्रति माह रु0	अधिकतम संयोजन माप
(1)	विशेष श्रेणी एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान 15.00 रु0 प्रति किलो लीटर			
(i)	पंचतारा होटल	15.00	30000	80 एम0एम0
(ii)	तीन तारा होटल	15.00	15000	80 एम0एम0
(iii)	अन्य होटल एवं लॉज			

	(अ) 15 कमरों तक	15.00	1125	25 एम0एम0
	(ब) 15 कमरों से अधिक	15.00	3000	25 एम0एम0
(iv)	कोल्ड स्टोरेज, आइस फैक्ट्रीजआइसक्रीम/बाटलिंग प्लांट	15.00	7500	25 एम0एम0
(v)	पेट्रोल पम्प, गैराज, सर्विस स्टेशन	15.00	1500	25 एम0एम0
(vi)	नर्सिंग होम			
	(अ) 10 कमरों तक	15.00	750	25 एम0एम0
	(ब) 10 कमरों से अधिक	15.00	3000	25 एम.एम
(vii)	पेठा प्रतिष्ठान	15.00	500	25 एम0एम0

2.2 विशेष श्रेणी के अतिरिक्त अन्य 15.00 रु0 प्रति किलो लीटर औद्योगिक प्रतिष्ठान

	संयोजन माप	रु	रु	
(i)	15 एम0एम0	15.00	300	
(ii)	20 एम0एम0	15.00	350	
(iii)	25 एम0एम0	15.00	600	
(iv)	40 एम0एम0	15.00	1125	
(v)	50 एम0एम0	15.00	1500	
(vi)	80 एम0एम0	15.00	3375	
(vii)	100 एम0एम0	15.00	4500	
(viii)	150 एम0एम0	15.00	10500	

(3) अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान, 7रु50पै0 प्रति किलोलीटर सिनेमाघर एवं रेस्टोरेंट

	संयोजन माप	रु	रु	
(i)	15 एम0एम0	7रु50पै0	250	
(ii)	20 एम0एम0	7रु50पै0	350	

(iii)	25 एम0एम0	7रु50पै0	450	
(iv)	40 एम0एम0	7रु50पै0	875	
(v)	50 एम0एम0	7रु50पै0	1125	
(vi)	80 एम0एम0	7रु50पै0	2625	
(vii)	100 एम0एम0	7रु50पै0	3375	
(viii)	150 एम0एम0	7रु50पै0	8250	

(4) सरकारी/अर्द्धसरकारी एवं रु0 6 प्रति किलोलीटर संस्थागत प्रतिष्ठान

	संयोजन माप	रु	रु	
(i)	15 एम0एम0	6.00	200	
(ii)	20 एम0एम0	6.00	250	
(iii)	25 एम0एम0	6.00	300	
(iv)	40 एम0एम0	6.00	875	
(v)	50 एम0एम0	6.00	1125	
(vi)	80 एम0एम0	6.00	2625	
(vii)	100 एम0एम0	6.00	3375	
(viii)	150 एम0एम0	6.00	8250	

(5) छावनी बोर्ड: रु0 4रु50पै प्रति किलो लीटर

	संयोजन माप	रु	रु	
(i)	15 एम0एम0	4रु50पै	115	
(ii)	20 एम0एम0	4रु50पै	180	
(iii)	25 एम0एम0	4रु50पै	225	
(iv)	40 एम0एम0	4रु50पै	450	
(v)	50 एम0एम0	4रु50पै	575	
(vi)	80 एम0एम0	4रु50पै	1350	

(vii)	100 एम0एम0	4रु50पै	1800	
(viii)	150 एम0एम0	4रु50पै	4500	

(6) म्यूनिसिपल कार्य हेतु रुपये 3 प्रति किलो लीटर

	संयोजन माप	रु	रु	
(i)	15 एम0एम0	3.00	60	
(ii)	20 एम0एम0	3.00	90	
(iii)	25 एम0एम0	3.00	120	
(iv)	40 एम0एम0	3.00	240	
(v)	50 एम0एम0	3.00	300	
(vi)	80 एम0एम0	3.00	720	
(vii)	100 एम0एम0	3.00	900	
(viii)	150 एम0एम0	3.00	2250	

(7) भवन निर्माण/परिवर्तन/परिवर्द्धन

1 रु 50 प्रति वर्ग मीटर प्रस्तावित निर्मित क्षेत्रफल पर, एक मुश्त नक्शा पास न होने की स्थिति में भूखण्ड क्षेत्रफल के 70 प्रतिशत क्षेत्रफल पर रु0 50 प्रति वर्ग मीटर की दर से एकमुश्त ।

2 निर्माण कार्य हेतु जल संयोजन की तिथि से एक वर्ष के पश्चात् जल के उपयोग के प्रयोजन के अनुसार न्यूनतम प्रभार की दरों से जलमूल्य लिया जायेगा । एक वर्ष में निर्माण कार्य पूर्ण न होने पर अथवा वार्षिक मूल्यांकन न होने की दशा में कर निर्धारण रहित सम्पत्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रभार की दर से जलमूल्य लिया जायेगा । घरेलू उपयोग के मामलों में 15 एम0एम0, 20 एम0एम0 एवं 25 एम0एम0 के लिये यह दरें क्रमशः रु0 900, रु0 2700 एवं रु0 3600 प्रति वर्ष होंगी ।

3 25 एम0एम0 से अधिक का संयोजन नहीं दिया जायेगा ।

(क) मीटर किराया:—

	संयोजन माप	मासिक किराया		
(i)	15 एम0एम0	5.00		
(ii)	20 एम0एम0	6.00		
(iii)	25 एम0एम0	8.00		

(iv)	40 एम0एम0	10.00		
(v)	50 एम0एम0	15.00		
(vi)	80 एम0एम0	20.00		
(vii)	100 एम0एम0	30.00		
(viii)	150 एम0एम0	40.00		

(ख) विकास शुल्क:—

(1) जल की विकास दरें:—		रु0
(अ) भवन के दो तल तक भूखण्ड क्षेत्रफल पर		1000
रु0 10 प्रति वर्ग मीटर		न्यूनतम प्रभार
(ब) दो तल से अधिक रु0 10 प्रति वर्ग मीटर		1000
भूखण्ड क्षेत्रफल पर +		न्यूनतम प्रभार
रु0 5 दो तल से अधिक के निर्मित क्षेत्रफल पर प्रति वर्ग मीटर		

(2) विकास शुल्क(सीवर)

(अ) दो तल तक:—	रु0 10 प्रति वर्ग मीटर	1000
	भूखण्ड क्षेत्रफल पर	न्यूनतम प्रभार
(ब) दो तल से अधिक	रु0 10 प्रति वर्ग मीटर	1000
	भूखण्ड क्षेत्रफल पर +	न्यूनतम प्रभार
	रु0 5 दो तल से अधिक के निर्मित क्षेत्रफल पर प्रति वर्ग मीटर ।	

टिप्पणी:—उपर्युक्त प्रयोजन के लिये बेसमेंट एवं भूतल अलग—अलग माने जायेंगे ।

(य) सर्विस (सुपरवीजन फीस)

(लाइनों के रखरखाव के लिये)

	पाइप साइज	मासिक दर	वार्षिक दर
1	15 एम0एम0	2.00	24.00
2	20 एम0एम0	3.00	36.00

3	25 एम0एम0	5.00	60.00
4	25 एम0एम0 से ऊपर	20.00	240.00

(र) सीवर संयोजन न्यूनतम प्रभार:—

जल संयोजन होने पर—जल मूल्य के न्यूनतम प्रभार का 25 प्रतिशत/जल संयोजन न होने पर प्रति सीट प्रति माह 15 रु0 ।

(ल) अन्य प्रभार:—

1 जल मूल्य बिल के निर्गमन तिथि के 30 दिन के अन्दर भुगतान करने पर जल मूल्य राशि पर 10 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी । यह छूट केवल चालू वर्ष की माँग पर अनुमन्य होगी ।

2 बिल निर्गमन के 30 दिन के अन्दर भुगतान न करने पर 10 प्रतिशत छूट अनुमन्य नहीं होगी ।

3 बिल निर्गमन के 60 दिन के उपरान्त परन्तु वित्तीय वर्ष के अन्दर भुगतान करने पर बिल की धनराशि पर 10 प्रतिशत की दर से सरचार्ज देय होगा । वित्तीय वर्ष के उपरांत जल मूल्य तथा सरचार्ज की राशि बकाया डिमाण्ड मानी जायेगी ।

4 प्रति वर्ष मँहगाई में वृद्धि एवं निर्माण कार्य तथा रखरखाव के लिये आवश्यक धनराशि की व्यवस्था हेतु प्रत्येक श्रेणी की दरों में 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो जायेगी जो बिना किसी और अनुमोदन के प्रति वर्ष स्वतः प्रभावी होगी ।